बंद दरवाज़ों के पीछे

(विश्वास नगर की वस्त्र उद्योग फैक्टरी में आग लगने से मौतें)

पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स
दिल्ली

फरवरी 2006

7 दिसम्बर 2005 की सुबह, पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में स्थित एक वस्त्र निर्माण इकाई ग्रोवर संस अपारेल्स प्राइवेट लिमिटेड की तीसरी मंज़िल में आग लग गई - जिसमें 12 मजदूर मारे गए। संचार माध्यमों में घटना का काफ़ी प्रसार प्रचार हुआ जिससे सरकार व स्थानीय अधिकारियों के लिए यह एक बड़ा मामला बन गया। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए एक लाख और प्रत्येक घायल मजदूर के लिए 20,000 रु. के मुआवज़े की घोषणा की। अगले 3-4 दिनों के अंदर ही मालिक, प्रबंधक (मैनेजर), फैक्टरी इंचार्ज और ठेकेदार सभी को गिरफ़्तार कर लिया गया। पी.यू.डी.आर. ने घटना की जांच की। प्रस्तुत है हमारी जांच की रिपोर्ट।

ग्रोवर संस अपारेल्स (मुख्यालय 2666/2 बीडन पुरा, करोल बाग़, दिल्ली) भारत में अंदरूनी वस्त्र बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से है। अपारेल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउंसिल ऑफ़ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड यह कंपनी 50 सालों से ज़्यादा से व्यापार में है। उत्तर भारत के एक प्रमुख ब्रांड नाम के रूप में स्थापित इस कंपनी के उत्पाद ग्रोवर संस के कई एक उप ब्रांड नामों से बाज़ार के निचले व ऊपरी हिस्सों की आपूर्ती करते हैं। अंदरूनी वस्त्रों के क्षेत्र में देशी बाज़ारों में विदेशी ब्रांडों के आ जाने से ग्रोवर संस जैसे पुराने नाम काफ़ी कड़े मुकाबले का सामना कर रहे हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश ग्रोवर के अनुसार विदेशी ब्रांडों के भारतीय बाज़ारों में आ जाने से भारतीय उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का स्तर देखने को मिला है, और ऐसे में यह ज़रूरी हो गया है कि ग्रोवर संस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पाद बनाए। यह ध्यान में रखते हुए ग्रोवर संस तकनीकी रूप से अत्यंत विकसित निर्माण व्यवस्था की ओर बढ़ने की कोशिश में है, जिससे आने वाले सालों में उसका उत्पादन कई गुणा बढ़ जाएगा।

दुर्घटना में बच गए मजदूरों व मारे गए मजदूरों के परिवारों से बातचीत और विश्वास नगर की गली नम्बर 16 में स्थित फैक्टरी को जा कर देखने से पी.यू.डी.आर. को समझ में आया कि ग्रोवर संस प्रबंधकों द्वारा चलाई जा रही यह तकनीकी रूप से विकसित व्यवस्था असल में क्या है। कंपनी का लगभग सारा निर्माण कार्य शहर भर में फैली कई एक छोटी-छोटी इकाइयों (यूनिटों) में होता है। ये जगहें या तो प्रबंधकों की खुद की हैं या फिर उन्हें किराए पर लिया गया होता है। करोल बाग स्थित मुख्यालय के अलावा इनमें से किसी भी इकाई का न तो कोई स्थाई पता है न आधार। कंपनी किसी इकाई को एक जगह पर 4-5 साल से ज़्यादा समय के लिए चलने नहीं देती। प्रबंधक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई कारीगर एक इकाई में बहुत लंबे समय तक न

रह पाए। संगठित हो पाने से रोकने के लिए कारीगरों को एक से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया जाता रहता है।

विश्वास नगर के घने रिहायशी इलाके में स्थित इस इकाई में सिर्फ महिलाओं के ऊपरी अंदरूनी वस्त्र (ब्रेज़री) तैयार होते थे। यह फैक्टरी अपनी पिछली जगह (343 बी, भोलानाथ नगर) से हटा कर इस जगह करीब 4 साल पहले लाई गई थी। इकाई तीन मंज़िलों में स्थित थी और यहाँ करीब 125 से 150 कामगार काम करते थे। ज़्यादातर कामगार निजी ठेकेदार द्वारा अनियमित रूप काम पर लगाए गए थे। ये लोग एक पाली में काम करते थे जो कि 10 से 12 घंटों की होती है। इन कामगारों की औसतन आमदनी 2000 से 3000 रु. प्रति महीना है, जो कि दिल्ली की निर्धारित न्यूनतम आय से कहीं कम है। और इस आय में अकसर 8 घंटों के ऊपर काम किए जाने के लिए का ओवर टाइम भी शामिल रहता है। कामगारों को प्रबंधकों द्वारा नियुक्ती पत्र या आय स्लिप जैसा कोई भी लिखित कागज़ नहीं दिया जाता।

दुर्घटना

7 दिसम्बर को करीब 75 - 80 कामगार फैक्टरी में थे। आम दिनों के मुकाबले उस दिन उपस्थिति कम थी क्योंकि एक मंज़िल का निरीक्षक और काफ़ी सारे कामगार छुट्टी पर थे। दुर्घटना में घायल हुए मजदूरों में से एक रवि (उम्र 19 साल) के अनुसार यह घटना सुबह लगभग 10.45 पर हुई जबकि एक दाग हटाने वाली मशीन ने अचानक आग पकड़ ली। मशीन के एकदम पास काम कर रहे 25 वर्षीय भाना प्रताप ने चिंगारी निकलते हुए देखी और उसने उसे बुझाने की कोशिश की। परन्तु कुछ की सैकेडों में पास ही रखे ज्वलनशील विलायक के 20 लीटर के केन के आग पकड़ लेने से यह चिंगारी बड़ी आग में बदल गई। दो अन्य मजदूरों कन्हैया (उम्र 20 साल) और विनोद (उम्र 18 साल) ने भाना को लपटों से घिरे हुए देखा। उसे बचाने की कोशिश में वे दोनों उसकी तरफ़ भागे, परन्तु तेज़ी से फैल रही लपटों ने उन्हें भी घेर लिया।

आग बुझाने वाले संयंत्रों ने काम नहीं किया और प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार इमारत की तीसरी मंज़िल घने काले धुंए से भर गई। दूसरी मंज़िल पर काम कर रहे कामगार सीढ़ियों के पास स्थित सीढ़ियों से भाग निकले। परन्तु तीसरी और चौथी मंज़िल पर काम कर रहे कामगारों के पास ऐसी संभावना नहीं थी। बाहर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर रखे पैकिंग के सामान ने भी तुरंत आग पकड़ ली, जिससे इन मंज़िलों में फंसे कामगारों के लिए बच निकल असंभव हो गया। चौथी मंज़िल पर मौजूद कुछ लोग छत की ओर जाने वाले दरवाज़े से बाहर निकल कर बच गए, पर तीसरी मंज़िल के लोगों के लिए यह विकल्प भी नहीं था। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार आग इतनी तेज़ी से फैली कि बाल्टियों से उसे बुझाना संभव नहीं था। घबराहट और हताशा में कुछ कामगारों ने खिड़कियों से कूद कर बचने की कोशिश की।

अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग बुझाने वाले वाहनों को विश्वास नगर की तंग गलियों में से घुसा कर फैक्टरी तक ले जाने में खासी मुश्किल हुई। फैक्टरी तक न पहुँच पाने के कारण उन्हें मुख्य सड़क से खींच कर पानी के पाइप वहाँ

तक पहुँचाने पड़े। आग बुझाने में लगभग दो घंटे लग गए। शव इस बुरी तरह से जल गए थे कि उन्हें पहचाना जाना संभव नहीं था। जिन 12 मजदूरों की जाने गईं वे थे - भाना प्रताप (उम्र 25 साल), कन्हैया (20 साल), विनोद (18 साल), भूलन (20 साल), सहदेव (40 साल), वालमीकी (40 साल), राज (25 साल), राजू (18 साल), राज रानी (50 साल), मधू (30 साल), रेनू (20 साल), और लीलावती (35 साल)। घायल होने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। तीसरी मंज़िल से छलांग लगा कर बचने की कोशिश में संजय (22 साल) को कई एक चोटें आईं और घटना के एक महीने से ज़्यादा के बाद वह अभी भी अस्पताल में है उसकी हँसुली (कॉलर की हड्डी) टूटी हुई है और रीढ़ में गंभीर चोटें हैं। उसके मामले में दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया 20,000 रु. का मुआवज़ा पूरी तरह से अपर्याप्त है और इससे ऐसी दुर्घटनाओं में मुआवज़ा दिए जाने के अविवेकपूर्ण और मनमाने ढंग का भी खुलासा होता है।

आग लगने के समय फैक्टरी में कोई भी सुपरवाइज़र या प्रबंधक मौजूद नहीं था। एक मैनेजर जीतेन्द्र ग्रोवर करीब आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुँचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग बुझाने की जगह जीतेन्द्र ने पहले खोल कर रखे गए मुख्य दरवाज़े को फिर से बाहर से बंद कर दिया। इस पर कामगारों और उसके बीच झगड़ा हो गया। जीतेन्द्र ने स्थानीय पुलिस को बुला लिया - पुलिस आई और रेमेश गुप्ता को, जो कि कामगारों की तरफ़ से बोल रहे थे, उठा कर फ़राश बाज़ार थाने ले गई। रमेश को दिन भर बंद रख कर रात को छोड़ा गया। पी.यू.डी.आर. को न इस बारे कोई आधिकारिक पुष्टि मिली और न ही इस बात का कोई जवाब कि रमेश को पूरे दिन थाने में बंद क्यों रखा गया।

फ़राश बाज़ार थाने द्वारा सबसे पहले फैक्टरी इंचार्ज मिथिलेश कुमार सिंह और ठेकेदार हरकिशन को गिरफ़्तार किया गया और इसके बाद ग्रोवर संस अपारेल्स प्राईवेट लिमिटेड के मालिक व मैनेजिंग डॉयरेक्टर जीतेन्द्र ग्रोवर और राकेश ग्रोवर को। चारों पर भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धाराएं 304ए (लापरवाही से मौत) और 337 (चोट पहुँचाना) लगाई गईं। इन दोनों धाराओं के तहत 6 महीने से 2 साल की कैद या कम से कम पाँच सौ रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ज़ाहिर है जितनी बड़ी घटना है उसके मुकाबले यह सज़ा मज़ाक जैसी लगती है। चारों अभियुक्त ज़मानत पर छूटे हुए हैं।

कामगारों के परिवारों के लिए, जिनमें से कई एक दूर दराज के गांवों से दिल्ली आए हुए हैं, यह समय न्याय हासिल करने के लिए एक दर्द भरे इंजज़ार का रहा है। दुर्घटना में मारे गए विनोद और कन्हैया की माँ के लिए, जो कि बिहार के बलिया जिले के सुल्तानपुर गाँव की हैं, यह ज़िंदगी के एक और दुःखद अध्याय की शुरूआत है। जब उनके ये दोनों बेटे बहुत छोटे थे, तब धनबाद की एक कोयला खान में हुई दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। इस तरह औद्योगिक दुर्घटनाओं के बाद की प्रक्रियाओं से वे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उनके लिए उनके बेटों के लिए घोषित किया गया एक - एक लाख का मुआवज़े बेमानी है क्योंकि कोई भी मुआवज़ा उनके नुक़सान की भरपाई नहीं कर सकता। वे इस बात को सोच कर भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूटी हुई और कड़वाहट से भरी हुई हैं कि कुछ गरीब लोगों के ज़िंदगियों से हाथ धो बैठने से इस देश

के राजनैतिक और कानूनी ढांचे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

दुर्घटना में अपनों को खो देने वाले अन्य लोगों ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं। भाना प्रताप की पत्नी शकुंतला देवी याद करती हैं कि उनके पति, जो कि पेशे से दर्जी थे, सात साल पहले काम की तलाश में दिल्ली आए थे। उन्हें काम तो मिल गया पर इतने पैसे कभी भी नहीं मिले कि वे दिल्ली में घर किराए पर ले कर अपने परिवार को साथ रख पाएं। भाना ग्रोवर संस के 6 और कामगारों के साथ किराए के एक कमरे में रहते थे। उस दिन उस कमरे में रहने वाले सात लोगों में से पाँच लोग मारे गए। जब हमारा जांच दल उस घर में पहुँचा तो हमने, शकुन्तला देवी को अपनी छः महीने की बेटी को लिए हुए, अन्य औरतों के साथ, जिनके पति या बच्चे इस हादसे में मारे गए थे, सिमटे हुए बैठे पाया। यह एक अत्यंत दुःखद दृश्य था। इन सब के हाथ में कंपनी से मुआवज़ा दिए जाने से संबंधित श्रम आयुक्त ऑफ़िस का एक फ़ार्म था, जिसको भरना उन्हें नहीं आता था। परिवारों के पास कोई ऐसा लिखित कागज़ नहीं है जिसके आधार पर वे मुआवज़े का दावा कर सकें।

कुछ बृहद मुद्दे

हांलांकि दिल्ली सरकार ने एक लाख रुपये का मुआवज़ा तुरंत घोषित कर दिया था, परन्तु एक तो वह निहायत कम है और दूसरा इस पूरे प्रक्रण में मुआवज़ा एक बहुत ही छोटा मुद्दा है। हादसे से और भी कई बुनियादी सवाल उठते हैं। जब तक इन की पड़ताल नहीं की जाएगी और इनसे नहीं निपटा जाएगा हम लगातार हर बार विश्वास नगर जैसे अलग अलग हादसों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहेंगे और वह भी *हादसों के बाद*।

1. लागत कम करने की कोशिश - 1948 के फैक्टरी एक्ट के अनुसार, काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी फैक्टरी के मालिक की होती है। एक्ट की धारा 7(ए) के अनुसार : 'फैक्टरी में काम के दौरान सभी मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की ज़िम्मेदारी फैक्टरी के मालिक की होती है।'

परन्तु लागत कम से कम करने की कोशिश करने की फैक्टरी के मालिक इस आवश्यकता को पूरी तरह से नज़र अंदाज़ करते रहते हैं। यहाँ मुद्दा किसी ख़ास मालिक की ऐसी प्रवृति का नहीं है यह समस्या सर्वव्यापी है। यह संभव है कि तुलनात्मक रूप से अधिक जागरूक किसी फैक्टरी का मालिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान देता हो, परन्तु बदलती रहने वाली लागत को कम करके लाभ को अधिकतम करना किसी भी निजी फैक्टरी का काम करने का अंतर्निहित तरीका है। लगभग हमेशा ही लागत कम करने के लिए श्रमिकों पर किए जाने वाले खर्च में ही कटौती जाती है। इसके कई रूप हो सकते हैं - जिसमें सुरक्षा उपायों पर खर्च न करना और सरकार द्वारा तय किए गए व्यावसायिक सुरक्षा उपायों के नियमों को नज़रअंदाज़ करना भी शामिल हैं।

ग्रोवर संस में लगी आग मैनेजमेंट द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा के बुनियादी नियमों का पालन न करने का नतीज़ा थी (देखें बाक्स - आग से बचाव और मजदूरों की

सुरक्षा)। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि फैक्टरी एक ऐसी इमारत में थी जो कि रहने के लिए बनाई गई थी और इस तरह से यह किसी निमार्ण इकाई में ज़रूरी आग से सुरक्षा के उपायों के हिसाब से उपयुक्त नहीं थी। अग्नि शमन विभाग ने भी इसकी पुष्टि की। इसके से बढ़कर यह है कि आग बुझाने वाले संयंत्रों को कभी बदला ही नहीं गया था और प्रबंधक फैक्टरी के अंदर ज्वलनशील पदार्थ के रखे जाने के बारे में भी पूरी तरह से लापरवाह थे। आग लगने की स्थिति में आसानी से बाहर आने या अंदर जाने के लिए कोई भी व्यवस्था प्रबंधकों ने नहीं की हुई थी। एक मात्रा रास्ता जो कि खाली रखे जाने की जगह पैकिंग के सामान से पूरी तरह से भरा हुआ था और इसी से मजदूरों को फैक्टरी से बाहर निकलने में मुश्किल हुई।

आग से बचाव और मजदूरों की सुरक्षा संबंधित प्रावधान

1. ऐसी सभी प्रक्रियाएं, गोदाम, उपकरण, प्लांट आदि, जिनमें गंभीर विस्फोट या तुरंत आग लगने की संभावना हो, अलग इमारतों में होने चाहिए।
2. काम करने के किसी कमरे में ज्वलनशील द्रव की मात्रा काम या कामों की ज़रूरत के अनुसार न्यूनतम होनी चाहिए। ज्वलनशील द्रव को उपयुक्त कस कर बंद किए जा सकने वाले डिब्बों या बोतलों में, कम से कम मात्रा में खुले हवादार कमरों में रखा जाना चाहिए, जिनका निमार्ण इस तरह हुआ हो कि उनमें आग नहीं लग सकती हो, और जो बाकी के भवन से दीवारों से अलग हों और जिसके दरवाज़े अपने आप बंद हो सकने वाले हों।
3. फैक्टरी के हर कमरे में बाहर निकलने के बिना किसी बाधाओं वाले रास्ते होने चाहिए, जिनमें से अंदर के लोग आग लगने या किसी और आपातकालीन स्थिति में आसानी से बाहर निकल सकें।
4. अगर पहली मंज़िल से ऊपर या नीचे 25 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों तो आग की सूचना देने के लिए स्वचालित अलार्म न होने की स्थिति में कम से कम हाथ से चलने वाला अलार्म ज़रूर होना चाहिए।
5. भवन और प्लांट इस तरह से बने होने चाहिए और रास्ते और सड़कें ऐसी होनी चाहिए कि आग बुझाने के लिए बिना किसी बाधा के वहाँ तक पहुँचा जा सके।
6. भवन की बाहरी दीवारों में दरवाज़े और खिड़कियाँ इस तरह से बनी होनी चाहिए कि आग बुझाने के लिए भवन के हर हिस्से तक आसानी से पहुँचा जा सके।

स्रोत : डॉयरेक्टरेट जनरल, फैक्टरी सलाह सेवा

2. श्रम विभाग की भूमिका - फैक्टरी के मालिकों की मजदूरों की सुरक्षा को दरकिनार करके लागत कम करने की इस प्रवृति के चलते श्रम विभाग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और असल में फैक्टरी एक्ट के तहत संपूर्ण सुरक्षा और बचाव सुनिश्चित करने के लिए फैक्टरी इंसपैक्टर की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह नियमित रूप से प्लांट और मशीनरी का निरीक्षण करे। श्रम विभाग की यह ज़िम्मेदारी होती है कि जहाँ भी उत्पादन का काम हो रहा हो वहाँ मजदूरों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। श्रम कानूनों - जैसे नियुक्ती पत्र दिया जाना, काम के घंटों पर नियंत्रण,

तयशुदा न्यूनतम वेतन और ओवर टाइम और अन्य हितों का भुगतान - जिन सभी का ग्रोवर संस में पालन नहीं हो रहा था - को लागु करवाने के अलावा, इस तरह की फैक्टरियों में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा और व्यावसायिक खतरों से बचाव के लिए के लिए नियमित निरीक्षण और मुआयना भी श्रम विभाग की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। श्रम विभाग की ज़िम्मेदारी है कि वह काम की जगहों में सुरक्षा उपायों का विस्तृत रिकॉर्ड रखे और यह सुनिश्चित करे कि फैक्टरी के मालिक सुरक्षा के लिए तयशुदा नियमों का पालन करें।

विश्वास नगर के इस हादसे की जांच और दिल्ली में अन्य ऐसे हादसों और मजदूरों के अन्य मुद्दों की जांच में हमने पाया है कि श्रम विभाग श्रम कानूनों के लागु किए जाने के मामले में, जिसमें औद्योगिक सुरक्षा भी शामिल है, पूरी तरह से लापरवाह है। इसके कई एक कारण हैं : एक बहुत से फैक्टरी इंस्पैक्टरों का व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट होते हैं और उन्हें नियमित रूप से पैसा मिलता रहता है। दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है श्रम विभाग के अधिकारियों का राजनैतिक रूप से मजदूरों के वर्ग की जगह, जिनके हितों के लिए वे हैं, फैक्टरियों के मालिकों के वर्ग से गठबंधन। तीसरा, विश्वास नगर जैसी छोटे और मध्यम दर्ज़े की फैक्टरियों में लगे हुए ठेका मजदूरों का संगठित न होना और किसी एक मजदूर के लिए सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठा पाना असंभव होना। दूसरी ओर जिन फैक्टरियों में यूनियन हैं वहाँ भी वे सुरक्षा उपायों का मुद्दा नहीं उठा पातीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे न्यूनतम मजदूरी, भविष्यनिधि (प्रोविडेंड फंड) और ई.एस.आई. के लिए पंजीकरण और नौकरियाँ बने रहने का दबाव हमेशा बना रहता है। और इस विपरीत परिस्थिति में जबकि मजदूर सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठा पाने की स्थिति में बिलकुल ही नहीं हैं, सरकार और श्रम विभाग सिर्फ तब ही थोड़ा सक्रिय होता है जब दुर्घटना हो चुकी होती है। दिल्ली सरकार द्वारा इस हादसे के बाद मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों के लिए घोषित किया गया मुआवज़ा एक बार फिर सरकार द्वारा बहुत कम और बहुत देर के कुछ करने का उदाहरण है।

3. नॉन कनफ़र्मिंग क्षेत्र में फैक्टरी होने से ज़िम्मेदारी से मुक्ति - दिल्ली के 2001 के मास्टर प्लान के मुताबिक कोई फैक्टरी अगर किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित होती है जो औद्योगिक काम के लिए नियत नहीं किया गया हो तो वह नॉन कनफ़र्मिंग कहलाती है। दिल्ली के मास्टर प्लान में ऐसे व्यापारिक उद्यमों की सूची है जो विश्वास नगर जैसे 'रिहायशी' इलाकों में नहीं चलाए जा सकते। इनमें शामिल हैं भवन निमार्ण के सामान, लकड़ी, संगमरमर, लोहे, स्टील और रेत, जलाने की लकड़ी, कोयला की फुटकर दुकानें, वाहनों, सायकिल रिक्शा ठीक करने की दुकानें, दोबारा टायर बनाने, बैटरी चार्ज करने की दुकानें, सर्विस की दुकानें, आटा चक्की (जिसकी शक्ति 3 किलो वॉट से ज़्यादा हो), निर्माण और वैल्डिंग, गोदाम और भंडारग्रह, टूटे फूटे सामान की दुकानें और किसी भी तरह के निर्माण की फैक्टरियाँ (घरेलू उत्पाद के अलावा)।

विश्वास नगर में घूमते हुए यह ऊपरी निगाह डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि बंद दरवाज़ों के पीछे वहाँ कई एक ऐसी फैक्टरियाँ चल रही हैं। दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार ग्रोवर संस की यह इकाई साफ़तौर पर अनिधिकृत या गैरकानूनी थी।

इकाई क्योंकि नॉनकफ़र्मिंग क्षेत्र में स्थित थी इसलिए इसकी गैरकानूनी हैसियत श्रम विभाग और अन्य अधिकारियों के लिए मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों के मुद्दे से बचने का एक बहुत ही सरल बहाना बन जाता है।

परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि फैक्टरी जहाँ कहीं भी हो, मजदूरों के प्रति मालिक की ज़िम्मेदारियाँ वही रहती हैं। जहाँ तक श्रम विभाग का सवाल है, उसकी प्रमुख ज़िम्मेदारी मजदूरों के प्रति है इसलिए वह काम के हालातों जैसे बुनियादी मुद्दों सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि फैक्टरी गैरकानूनी है। जिस तरह से श्रम विभाग किसी अधिकृत फैक्टरी में मजदूरों की सुरक्षा से संबंधित नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करता है उसी तरह से विश्वास नगर स्थित ग्रोवर संस जैसी अनिधिकृत फैक्टरी के संबंध में उसे करनी चाहिए। दिल्ली में फैक्टरियों के बंद किए जाने से संबंध एक लंबे समय से लंबित मामले में दिल्ली सरकार ने खुद यह याचना की थी कि विश्वास नगर और अन्य कई ऐसे इलाकों कों औद्योगिक इलाकों के रूप में वर्गीकृत किया जाए क्योंकि इन इलाकों के 70 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सों में उद्योग हैं। फिर सरकार इन इलाकों में इस तरह की दुर्घटनाओं की ज़िम्मेदारी लेने से कैसे मुकर सकती है। बल्कि इस इलाके में जो कि औद्योगिक रूप से वर्गीकृत नहीं है इस तरह की खतरनाक फैक्टरी के चलने में श्रम विभाग की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वह ऐसी फैक्टरियों सुरक्षा और बचाव व्यवस्था बनाए रखे जाने पर ज़्यादा ध्यान से नज़र रखे।

अंत में

इस रिपोर्ट में यह कहने की कोशिश की गई है कि विश्वास नगर जैसी घटना किसी एक फैक्टरी मालिक द्वारा नियमों के उल्लंघन का नतीजा मात्र नहीं है बल्कि यह एक सर्वव्यापी और संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। 'काम की जगह पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और वातावरण से संबंधित सरकार की नीति के मसौदे' में भी यह स्वीकारते हुए कुछ ऐसा ही कहा गया है - 'काम के स्वरूप और संबंधों में बदलाव, खुद का काम करने में बढ़ोतरी, बढ़ती हुई उपठेकेदारी और काम की ऑउटसोर्सिंग (ठेके पर किसी और को करने के लिए देना) के चलते व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन बढ़ रहा है'।

औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, परन्तु जिन हालातों में वे होती हैं और उनके परिणामों के ज़्यादा बृहद कारण हैं - मुनाफ़ा कमाने की अंधाधुंध दौड़, अधिकारियों द्वारा किसी दुर्घटना के होने से पहले कोई भी कदम न उठाना, बड़ी तादाद में ठेका मजदूरी की मौजूदगी, संगठनों द्वारा सुरक्षा के मुद्दे उठा पाने में आने वाली मुश्किलें आदि। दिल्ली जैसे औद्योगिक शहर में पूँजीवाद जिस तरह से अपने करतब दिखाता है ये मुद्दे उसी से जुड़े हैं। साफ़ है कि असल में पूँजीवाद की इस बुनियादी कार्यविधि और इस आर्थिक व्यवस्था जिसमें अधिक मुनाफ़ा कमाए जाने और बाज़ार को मजदूरों के अधिकारों और सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, पर ही सवाल उठाने की ज़रूरत है।

पी.यू.डी.आर. मांग करता है :

1) ग्रोवर संस द्वारा मृतकों के परिवारों और घायलों को पूरा मुआवज़ा अदा किया जाए।

2) इलाज का पूरा खर्चा दिया जाए और अभी तक हुए खर्चे का भी भुगतान किया जाए।
3) ग्रोवरसंस के प्रबंधकों के खिलाफ़ मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियमों के उल्लंधन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाए।
4) दिल्ली सरकार के श्रम और उद्योग विभाग के अधिकारियों के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही की जाए।
5) मारे गए लोगों के परिवारों में से एक एक व्यक्ति को ग्रोवर संस अपारेल्स में नौकरी दी जाए।

दिल्ली में एक निर्माणस्थल पर 12 मजदूरों की मौत

25 दिसम्बर की सुबह जसोला (दक्षिण दिल्ली) के एक निर्माण स्थल पर मजदूरों के मलबे के ढ़ेर में दब जाने की खबरें संचार माध्यामों में आनी शुरू हो गईं। हादसा उस समय हुआ जब एक हाल ही में खुदी हुई मिट्टी में ढ़ीली ढ़ाली तरह से लगा हुआ तख्ता गिर गया। इससे नीचे काम कर रहे मजदूर उसके नीचे दब गए। घटना एक खरीददारी मॉल निमार्ण स्थल की है। मॉल के मालिक इंडिया कॉलोनाइज़र प्राइवेट लिमिटेड ने निर्माण का काम एक निजी कंपनी न्यू एज बिल्डर्स को उप ठेके पर दिया हुआ था। घटना में मारे गए मजदूर कम उम्र के युवा थे जो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से काम की तलाश में दिल्ली आए थे। ये लोग एक अस्थाई टीन के टप्पर के नीचे रह रहे थे और एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा काम अनियमित रूप से काम पर रखे गए थे। छः लोगों को गिरफ़्तार किया गया (दो ठेकेदार, प्रोजेक्ट का प्रबंधक, साइट का निरीक्षक और दो इंजीनिय), सभी बाद में जमानत पर छूट गए।

छपते छपते - फ़रवरी के पहले हफ़्ते में विश्वास नगर में आग लगने की एक और घटना हुई। इस बार यह आग गत्ते की एक फ़ैक्टरी में लगी थी। यह फ़ैक्टरी भी एक तंग गली में ग्रोवर संस फ़ैक्टरी से कुछ दूरी पर ही स्थित थी। इस घटना में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। आग सुबह 3 बजे लगी और सात आग बुझाने की गाड़ियों की मदद से इस पर 7 बजे तक ही काबू किया जा सका।

औद्योगिक दुर्घटनाओं में हर एक हादसे से बाद दूसरे हादसे में इतिहास अपने को दोहराता सा प्रतीत होता है।

प्रकाशकः सचिव, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, दिल्ली (पी.यू.डी.आर.)
मुद्रकः हिन्दुस्तान प्रिंटरस, नवीन शाहदरा, दिल्ली - 110032
प्रतियों के लिएः शर्मीला पुरकायस्थ, 5 मिरांडा हाऊस स्टाफ क्वाटर्स, छात्र मार्ग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 110007
सहयोग राशिः 2 रुपया
ईमेलः pudrdelhi@yahoo.com